(श्री सोमनाथ चटर्जी)

जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह संसद के लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा। महोदय, आप समितियों के सभापति नियुक्त कीजिए और अगर फिर भी एकमत रिपोर्टों के संबंध में अनुरोध किये जाते हैं तो काम करना कठिन हो जाएगा। श्री शिवराज पाटिल जी यहां उपस्थित हैं। हम उनके योगदान की हमेशा सराहना करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, हम इन सब बातों पर कई दिनों तक चर्चा कर सकते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मैं भी एक समिति का सभापति था। इस मामले पर अलग से विचार किया जा सकता है।....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधानमंत्री, मैंने इसी असहनशीलता के बारे में कहा था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : श्री चटर्जी आप मुझे एक मिनट तक नहीं सह सकते और आप हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : नयी परंपरा प्रारंभ हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दिल को छू लेने वाला विषय है। मैं केवल यही कहूंगा कि यह देखना आपका काम है कि स्थाई समितियां नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से काम कर सकें। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

महोदय, वास्तव में मैं संसदीय कार्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो काफी सहायक और मददगार रहे हैं। मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र श्री राम नाईक को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कई ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को, जिन पर इस सत्र में हम चर्चा नहीं कर सके, हम अगले सत्र में चर्चा के लिए ले सकेंगे। हमें आशा है कि इस सभा के माध्यम से अधिक सहयोग के द्वारा हम लोगों की अच्छी सेवा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी, आपने जिस कुशलता से सदन का संचालन किया है, उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में, आपका धैर्य बड़ा गहरा है। बार-बार उसकी परीक्षा होती है और आप सफलता से निकल आते हैं। मेरा विश्वास है कि आपका धैर्य बना रहेगा और हमारे आचरण की मर्यादा भी कायम रहेगी। जैसा मैं कह रहा था, बजट सत्र है, समाप्ति पर है, महत्वपूर्ण है,

सायं 6.00 बजे

बजट पर मतभेद हुआ करते हैं, पहली दफा मतभेद नहीं हुए हैं, लेकिन शायद पहली दफा प्रतिपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाकर अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर बिना बोझा लादे हुए, हम सरकार का काम चला सकते, देश का वित्तीय भविष्य बना सकते, तो अलोकप्रियता अर्जित करने के लिए हम बोझा लादने का निर्णय नहीं करते। कीमतें बढ़ती हैं, उनकी चोट सबको लगती है, लेकिन एक संतुलन बनाकर हमने काम किया है और हमें विश्वास है कि देश की जनता इसे पसंद करेगी। आखिर हम जनता का विश्वास लेकर यहां आए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि...

कुछ माननीय सदस्य : महंगाई बढ़ायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने कहा था कि जो भी बोझ देश पर लादा जा रहा है, उसके बारे में हम विचार करेंगे और उन्हें एक तर्कसंगत रूप देंगे। हमें आश्चर्य हुआ, जब मुख्य विरोधी दल ने, मुख्य प्रतिपक्ष ने, जिन्हें शासन चलाने का अनुभव है और जो फिर से शासन में आने की बाट जोह रहे हैं, यद्यपि उनकी आशा पूरी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन एक यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाकर, अगर हम आर्थिक क्षेत्र में नहीं चलेंगे और संकुचित दलबंदी से बंधे रहेंगे, तो इस देश की नैया को पार लगाना बहुत मुश्किल होगा। कल डॉ. मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में भाषण दिया, वह हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि सत्ता पक्ष में भी बुद्धिमान लोग हैं, सत्तापक्ष में भी दूरदर्शी लोग हैं।.....*(व्यवधान)* उनके भाषण को नकारा नहीं जा सकता, यह रिकार्ड का विषय है। उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप क्षमा करेंगे, क्या सभी स्टैंडिंग कमेटियों की सभी सिफारिशें हमेशा सरकार द्वारा मंजूर की जायेंगी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर शिकायत क्या हो रही है? आज जिस सर्वसम्मत रिपोर्ट की बात कही जा रही है, क्या आपको मालूम है, उसमें हमारे भी सदस्य हैं। उन्होंने नोट-आफ-डिसैंट

नहीं देना है। यह सोच कर नोट नहीं लगाया है, वरना कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आ सकती, जिसमें हमारे सदस्यों की टिप्पणी न होती और वे अपना विरोध प्रकट न करते।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप एक सेकेंड के लिए मेरी बात सुनेंगे ?.....*(व्यवधान)* जिस समिति का मैं सभापति हूं उसके संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक सामान्य वक्तव्य दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने नोट किया कि आप अपनी उंगली मेरी तरफ उठा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : विदाई सम्बन्धी उल्लेख है। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : ऐसी कोई परम्परा नहीं है नोट–आफ–डिसेंट नहीं लगाया जा सकता है।.....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मानता हूं कि समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। केवल इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि आप जो बात कर रहे हैं, उसे सरकार स्वीकार करे – यह जरूरी नहीं है। मैं भी प्रतिपक्ष में रहा हूं और किस तरह से हमारी सिफारिशों को नकारा जाता था, इसका मैं भुक्तभोगी हूं, लेकिन हमने कभी इसको शिकायत नहीं बनाया।

इस सत्र में सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पारित हुए, इसके लिए हम प्रतिपक्ष के आभारी हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर देश एक मत है और होना चाहिए।

जहां तक परिगणित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का सवाल है, नौकरियों में पदोन्नति के प्रश्न को लेकर जो बैकलाग का मामला उठा था और कहा गया कि परिगणित जातियों और जनजातियों के साथ अन्याय हो रहा था, कोई अदालत का फैसला था, लेकिन सारे सदन ने मिल कर उसे परिवर्तित किया। सदन में हमारा इतना बहुमत नहीं है कि हम अपने बल पर संविधान संशोधन विधेयक पारित करा सकते, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि जिस पर सारा सदन एकमत हो गया। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता देने के बारे में, अधिक धन देने के बारे में बात हुई – इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया। उसमें सारे सदन का सहयोग मिला। इसी तरह के जो राष्ट्र हित के और सब के कल्याण से संबंधित मामले हैं, उन पर अगर सदन एक होकर चले तो इसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं।

महोदय, अस्पृश्यता सामाजिक क्षेत्र से नष्ट हो रही है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को फिर से आरंभ करने से काम बनने वाला नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर चलें, आज इसकी आवश्यकता है। बजट सत्र में कई बार ऐसे अवसर आए, जब पता लगा कि हमारे बाहरी कितने भी मतभेद हों लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे श्रीलंका का सवाल है, उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, मगर मोटे तौर पर श्रीलंका के मामले में सारा देश एक है और पूरा देश चाहता है कि श्रीलंका में शांति स्थापित हो, श्रीलंका की एकता और अखंडता बनी रहे। लेकिन इन सवालों पर हम लगातार प्रतिपक्ष से सलाह लेते रहे हैं, विचार करते रहें हैं। आज ही कश्मीर की आंतरिक स्थिति के बारे में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से मेरी चर्चा हुई थी। कल एक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मेरे घर पर भी आने का कष्ट किया। उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया और हमने उसका उत्तर दिया, लेकिन अभी भी शिकायत जारी है कि हमारी बात मानी नहीं गई। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारा दोष यही है कि हम इस समय सरकार में हैं। लेकिन कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है, जिससे कि कुछ मुद्दों पर और आर्थिक क्षेत्र का मामला ऐसा ही मामला है क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में है और इसलिए कुछ कठोर फैसले करने पड़े हैं।

महोदय, यह आशा लगाई गई थी कि सरकार फैसले दबाव में आकर बदल देगी– हमने भी फैसले कोई खुशी में आकर नहीं किए हैं, लेकिन जो फैसलें किए हैं वे सोच समझ कर किए हैं और इसीलिए उन पर हमारा आग्रह हो रहा है। हम अपने मित्रगण को संतुष्ट करने का कोई रास्ता निकालेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में विधेयक सदन में आया है, उससे पहले इनफोर्मेशन की स्वतंत्रता के बारे में हम एक बिल आज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वह पेश नहीं हो सका, लेकिन वह विधेयक हमारा तैयार है। लेजिस्लेटिव बिजिनैस के मामले में, इस बजट सत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूं कि सब के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मुझे कभी–कभी लगता था कि शायद ऐसा बंटवारा हो गया है कि सवेरे का समय सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने में दिया जाएगा और शाम का समय ठोस काम करने के लिए दिया जाएगा। इसलिए सत्र शाम तक, रात तक चलता रहा और उसमें सब सहयोग देते रहे। सचिवालय को इसमें जरूर कठिनाई होती है, स्पीकर महोदय, आपको भी आना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर महोदय आज दिखाई नहीं दे रहे।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे दौरे पर हैं।

.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे ब्राजील गए हुए हैं। अब तो बहुत से मेम्बर्स वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला मेम्बर्स की ओर से एक मांग आई है कि पुरानी सरकार के जमाने में सारी महिलाएं, जो संसद सदस्य हैं, उन्हें विदेश यात्रा में भेज दिया गया था, उन्हें उस समय चीन भेजा गया था, वैसा ही इस समय भी करना चाहिए। अगर सबकी आम सहमति हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा, आम सहमति की बात तो माननी ही पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज तेरहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 23 फरवरी, 2000 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधन के साथ शुरू हुआ था। इस सत्र के दौरान सभा में 38 बैठकें की जो 211 घंटे और 30 मिनट तक चलीं।

चूंकि यह बजट सत्र था, हमारे कार्य का अधिकांश भाग वित्तीय कार्य से संबंधित था। सभा ने वर्ष 2000–2001 के रेलवे और सामान्य बजटों को पारित किया। जैसाकि 1993 से परम्परा रही है, सभा ने बीच में सत्रावकाश लिया ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां, संबंधित मंत्रालयों के संबंध में अनुदान मांगों की समीक्षा कर सके और सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। यह सभा, जो 16 मार्च, 2000 को बैठक के अंत में उक्त प्रयोजन के लिए स्थगित हो गई थी, 17 अप्रैल, 2000 को पुनःसमवेत हुई जिसके बाद वित्तीय कार्य संपन्न किया गया। लोक सभा की स्थाई समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों के संबंध में 69 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। रेलवे पर चर्चा में 150 सदस्यों ने भाग लिया और सामान्य बजट पर चर्चा में 65 सदस्यों ने भाग लिया।

सभा ने 25 अप्रैल 2000 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित किया। इस प्रस्ताव पर 11 घंटों से अधिक समय तक चर्चा चली और उसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया।

लोक सभा द्वारा इस सत्र के दौरान पर्याप्त विधायी कार्य भी पूरा किया गया। कुल मिलाकर, सभा ने 26 विधेयक पारित किए। सभा द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में, संविधान 89वां तथा 90वां (संशोधन) विधेयक; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000; बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000; डिजाइन विधेयक, 2000; मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 2000; सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 1999; तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 शामिल है।

सभा ने नियम 193 के अधीन सार्वजनिक महत्व के चार महत्वपूर्ण मामलों पर सार्थक चर्चा की। ये मामले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्रियाकलापों में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी; देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति; आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि; तथा इंडियन एयर लाइंस विमान आईसी–814 के अपहरण के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य से संबंधित थे।

ध्यानाकर्षण के जरिए सदस्यों द्वारा पांच महत्वपूर्ण मामले उठाये गये और संबंधित मंत्रियों ने इन ध्यानाकर्षणों के जवाब में वक्तव्य दिये। इसके अलावा, मंत्रियों द्वारा विभिन्न मामलों के संबंध के 23 वक्तव्य दिये गये। सभा में तीन आधे घंटे की चर्चाएं भी हुईं। जहां तक प्रश्नकाल का संबंध है, 740 तारांकित प्रश्नों में से 98 प्रश्नों का सभा में मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। 8061 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिये गये तथा सभा द्वारा दो अल्पसूचना प्रश्नों पर भी चर्चा की गई।

गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में, 60 गैर–सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें से दो विधेयकों पर सभा द्वारा चर्चा की गई और जिन्हें बाद में सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। एक विधेयक पर आंशिक चर्चा हुई है। सभा द्वारा गैर–सरकारी सदस्यों के दो संकल्पों पर भी चर्चा हुई, जो बाद में सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये। एक संकल्प पर आंशिक चर्चा हुई है।

सदस्यों ने सभा में 225 मामलों को उठाकर नियम 377 के प्रावधानों का भी उपयोग किया। इसके अलावा, 281 सदस्यों ने शून्य काल के दौरान तात्कालिक लोक महत्व के मामले उठाये।

इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात लोकाचार समिति का गठन रही है, जो सदस्यों के नैतिक आचार की समीक्षा करेगी और उनके नैतिक अथवा अन्य दुराचरण के संबंध में इसे भेजे गये मामलों की जांच करेगी। मुझे विश्वास है कि इस समिति, जो हमारी समिति प्रणाली को और अधिक मजबूत बनायेगी, के गठन से सार्वजनिक जीवन में लोकाचार में नया आयाम जुड़ जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा, हम इस बजट सत्र के दौरान अधिक महत्व के कार्य को निपटाने में सक्षम रहे हैं। इस कार्य का अधिकांश भाग तीसरे सत्र के दूसरे भाग में निपटाया गया।